


18.11.2025

अधिवक्ता डिक्रीदार उपस्थित। मद्यून की ओर से कोई उपस्थित नहीं। उपखंड अधिकारी हिण्डोली की इस आशय की रिपोर्ट पेश हुई कि नीलामी में किसी के द्वारा बोली नहीं लगाये जाने से नीलामी पूर्ण नहीं हो पायी। नीलामी उद्घोषणा, फर्द नीलामी पत्र प्रेषित किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपखंड अधिकारी की ओर से पेश फर्द नीलामी से यह दर्शित है कि मौके पर मद्यून रंगलाल उपस्थित था। बोली लगाने के संबंध में अन्य गवाहों के हस्ताक्षर फर्द पर दर्शित नहीं है। इस स्तर पर न्यायालय पुनः नीलामी की कार्यवाही अमल में लाये जाने हेतु आदेश प्रदान करना उचित पाता है। उपखंड अधिकारी हिण्डोली को जयें जिला कलेक्टर बूंदी इस आशय का पत्र प्रेषित हो कि प्रस्तुत प्रकरण में कुर्कशुदा भूमि को नीलाम किये जाने की कार्यवाही अमल में लाया जावे एवं नीलामी की नियत दिनांक की सूचना डिक्रीदार को भी भेजी जावे तथा फर्द नीलामी पर डिक्रीदार के हस्ताक्षर कराये जावे। पत्रावली वास्ते प्राप्त होने नीलामी रिपोर्ट दिनांक 19.12.2025 को पेश हो।

  
अपर जिला न्यायाधीश  
कम संख्या 2, बूंदी (राज०)